

प्रकरण संख्या 223/2022 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)
उनवान

1. नानीबाई पुत्री रतनलालजी जाति लौहार निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेडा हाल मुकाम पत्नी स्व. मिट्ठालालजी लोहार निवासी महादेव मंदिर के पास, पिंड तहसील बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़।

—वादी

बनाम

1. कंकुबाई पत्नी शांतिलालजी लौहार निवासी ढोरिया हा.मु. चिकारड़ा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
2. गीताबाई पत्नी प्रभुलाल लौहार निवासी ढोरिया हाल मुकाम चिकारड़ा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
3. रामपाल पुत्र रतनलाल जी लौहार निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेडा।
4. सुरेशचंद्र पुत्र रतनलाल जी लौहार निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।
5. मोहन पुत्र रतनलाल जी लौहार निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।
6. बरजीबाई पत्नी रतनलालजी लौहार निवासी ढोरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।
7. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेडा, तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- उपस्थित :- 1- श्री जगदीशचंद्र मेनारिया - अधिवक्ता वादी
2- श्री शम्भुलाल तेली - अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 1,2,4,6

:: निर्णय ::

दिनांक :-22.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा बहाजिरी श्री जगदीशचंद्र मेनारिया वादी अधिवक्ता व अधिवक्ता शम्भुलाल तेली अधिवक्ता प्रतिवादी नं.1,2,4,6 शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित, पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेडा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर मौजा कचरियाखेड़ी पटवार हल्का ढोरिया तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 344 की आराजी नंबर 104 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, आराज नंबर 90 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 93 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे. मुचाह, आराजी नंबर 94 रकबा 0.4100 हैक्टेयर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि का बटवारा प्रस्ताव निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 31.07.2023 की पालना में बटवारा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है -

1. नानीबाई पुत्री रतनलाल जाति लौहार निवासी ढोरिया खातेदार रहन बदस्तुर

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	लगान
104 पूर्व दिशा	0.16	2.28



कुल कित्ता-2	0.16	2.28
--------------	------	------

2. श्री मोहन 1/6, रामपाल 1/6, सुरेशचंद्र 1/6, कंकूबाई 1/6, गीताबाई 1/6 पिता रतनलाल, मु. बरजीबाई पत्नी स्व. रतनलाल 1/6 जाति लौहार निवासी ढोरिया खातेदार रहन बदस्तुर

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा



आराजी न.	रकबा (हेक्टर)	लगान
104 पश्चिम दिशा	0.31	3.72
90	0.38	4.56
93	0.01	गै.मु.चाह
94	0.41	4.92

किता-4 1.11 13.20

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे।

चीजमुबलिक.....बाबत.....
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरहफीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.08.2024 को जारी की गई।
 मुहर



दस्तखत
 ओहदा
 सहायक कलेक्टर
 निम्बाहेड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
.....				
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
.....				
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
.....				
महनताना वकील			महनताना वकील		
.....				
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
.....	0	0	0	0
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
.....				
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
.....				
मुतफरिक			मुतफरिक		
.....				
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिक्केन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

